भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1252
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी का संशोधन

1252. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए कवरेज कैप को पहले संशोधित किया गया है, यदि हां, तो इसके संशोधन की योजनाओं के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएसएपी के लाभों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बुजुर्गों , विधवाओं, अकेली महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चला रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएसएपी पोर्टल से डेटा को छोड़कर राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (जैसे ओडिशा में मधु बाबू पेंशन योजना) द्वारा सहायता पा रहे पेंशनभोगियों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(घ) 2017 से 2024 तक राज्य के योगदान की तुलना में एनएसएपी में केंद्र सरकार के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एनएसएपी के सीएजी 2023 निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मुद्दों, विशेष रूप से खराब कवरेज , विलंबित भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और आधार आधारित भुगतान प्रणाली में पेंशनभोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की योजना बना रही है; और

(च) पुरानी जानकारी प्रदान कर रहे राज्य पेंशन पोर्टल को एनएसएपी पोर्टल के साथ कब तक एकीकृत किया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) जी हां, एनएसएपी के अंतर्गत कवरेज सीमा में पूर्व में किए गए संशोधनों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। फिलहाल कवरेज सीमा को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता की दर से अधिक पेंशन सहायता की टॉप-अप राशि प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं जैसे ओडिशा में मधु बाबू पेंशन योजना। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित जानकारी के अनुसार, लगभग 5.86 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा उनकी पेंशन योजनाओं के माध्यम से शामिल किया गया है। राज्य -वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है

(घ) एनएसएपी 100% केन्द्र वित्तपोषित प्रायोजित योजना (सीएसएस) है और इसमें राज्य का कोई अंश नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता दर से अधिक पेंशन सहायता की अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि एनएसएपी के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या से अधिक पात्र लाभार्थी हैं , तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपने संसाधनों से उन्हें पेंशन देने का विकल्प है। एनएसएपी के तहत सहायता की दर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त राशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) एनएसएपी के निष्पादन लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को निवारण/अनुपालन के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं तैयार की गईं। वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 10 में निहित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों को लोक लेखा समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया है। जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, चूंकि पीएसी ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसलिए वर्ष 2023 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट संख्या 10 के पैराग्राफ को 'निपटाया हुआ' माना गया है।

(च) कुल 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी के तहत पेंशन वितरण के लिए एनएसएपी -पीपीएस का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा , 14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के पोर्टल का उपयोग करते हुए वेब एकीकरण के माध्यम से एनएसएपी-पीपीएस को लेनदेन विवरण प्रदान

कर रहे हैं। तथापि , ऐसे सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और जिन राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में कोई एमआईएस प्रणाली नहीं है , उन्हें एनएसएपी के तहत पेंशन वितरण के लिए केवल एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

*****

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध -I

एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा में योजनावार संशोधन का विवरण

वर्ष	योजना/घटक	लाभार्थियों की संख्या
1995	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	53,35,600
	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	4,54,900
	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएफबीएस)	45,51,400
	कुल	**1,03,41,900**
2009	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	53,35,600
	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	4,54,900
	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)	45,51,400
	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (एनडब्ल्यूपीएस)	54,80,000
	राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (एनडीपीएस)	15,65,000
	कुल	**1,73,86,900**

2011-12	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	2,21,17,493
	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (एनडब्ल्यूपीएस)	65,73,323
	राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (एनडीपीएस)	10,58,651
	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	3,58,840
	अन्नपूर्णा	8,31,642
	कुल	**3,09,39,949**
2022	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	2,21,30,687
	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (एनडब्ल्यूपीएस)	67,35,826
	राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (एनडीपीएस)	8,81,394
	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	3,58,840
	अन्नपूर्णा	8,31,642
	कुल	**3,09,38,389**

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अतिरिक्त वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग लाभार्थी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धावस्था	विधवा	दिव्यांग	कुल
1	आंध्र प्रदेश	678736	253832	28412	**960980**
2	बिहार	3915991	679059	820410	**5415460**
3	छत्तीसगढ़	653006	401406	132056	**1186468**
4	गोवा	78112	32598	15092	**125802**
5	गुजरात	148817	893605	71893	**1114315**
6	हरियाणा	1527417	693851	166463	**2387731**
7	हिमाचल प्रदेश	430085	109959	70061	**610105**
8	झारखंड	1435922	401631	245394	**2082947**
9	कर्नाटक	3982109	1473556	911679	**6367344**
10	केरल	2750224	1226519	375526	**4352269**
11	मध्य प्रदेश	841470	410099	15361	**1266930**
12	महाराष्ट्र	2680443	828516	358688	**3867647**
13	ओडिशा	1591369	63143	0	**1654512**
14	पंजाब	2126951	584756	248061	**2959768**
15	राजस्थान	4821144	1777062	597194	**7195400**
16	तमिलनाडु	263975	612175	399547	**1275697**
17	तेलंगाना	1170705	1585088	499442	**3255235**
18	उत्तर प्रदेश	1078133	2521668	833603	**4433404**
19	उत्तराखंड	288982	173205	83207	**545394**
20	पश्चिम बंगाल	1689657	1500564	654804	**3845025**
पूर्वोत्तर राज्य					
21	अरुणाचल प्रदेश	48722	7168	3435	**59325**

22	असम	1271315	199756	129812	**1600883**
23	मणिपुर	83945	10346	8111	**102402**
24	मेघालय	65771	36222	14237	**116230**
25	मिजोरम	0	0	200	**200**
26	नगालैंड	1890	2460	3550	**7900**
27	सिक्किम	5674	1311	521	**7506**
28	त्रिपुरा	37377	66921	13075	**117373**
संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14696	6438	3718	**24852**
30	चंडीगढ़	8889	8358	4496	**21743**
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	13753	3751	573	**18077**
32	राजधानी क्षेत्र दिल्ली	296697	263639	108469	**668805**
33	जम्मू और कश्मीर	546140	170903	187456	**904499**
34	लद्दाख	0	0	0	**0**
35	लक्षद्वीप	931	415	549	**1895**
36	पुदुचेरी	116082	14267	0	**130349**
कुल		**34665130**	**17014247**	**7005095**	**58684472**

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1252 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

अनुबंध-III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएनएपी के तहत सहायता की दर और प्रदान की गई अतिरिक्त राशि (रुपये में) का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस						आईजीएनडब्ल्यूपीएस			आईजीएनडीपीएस		
		60-79 वर्ष			80 वर्ष और उससे अधिक								
		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	कुल	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	कुल	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	कुल	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	कुल
1	आंध्र प्रदेश	200	2550	2750	500	2250	2750	300	2450	2750	300	2700	3000
2	अरुणाचल प्रदेश	200	1300	1500	500	1500	2000	300	1700	2000	300	1700	2000
3	असम	200	50	250	500	50	550	300	0	300	300	0	300
4	अंडमान और निकोबार द्वीप	200	1800	2000	500		500	300	1700	2000	300	1700	2000
5	बिहार	200	200	400	500	0	500	300	100	400	300	100	400
6	चंडीगढ़	200	1000	1200	500	1000	1500	300	1000	1300	300	1000	1300
7	छत्तीसगढ	200	150	350	500	150	650	300	50	350	300	200	500
8	दिल्ली	200	1800-2300	2000-2500	500	2000	2500	300	2200	2500	300	2200	2500
9	दादरा और नगर हवेली	200	800	1000	500	500	1000	300	2500	2800	300	700	1000
	दमन और दीव	200	800	1000	500	-	500	300	950	1250	300	700	1000
10	गोवा	200	0	200	500	0	500	300	0	300	300	0	300
11	गुजरात	200	800	1000	500	750	1250	300	950	1250	300	700	1000
12	हरियाणा	200	2500	2700	500	2500	3000	300	700	1000	300	2500	2800
13	हिमाचल प्रदेश	200	1500	1700	500	1200	1700	300	850 to 1400	1150 & 1700	300	1400	1700
14	जम्मू एवं	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000

	कश्मीर												
15	झारखंड	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000
16	कर्नाटक	200	400-1000	600-1200	500	700	1200	300	500	800	300	1100	1400
17	केरल	200	1400	1600	500	1100	1600	300	1300	1600	300	1300	1600
18	लक्षद्वीप	200	800	1000	500	500	1000	300	300	600	300	700	1000
19	मध्य प्रदेश	200	400	600	500	100	600	300	400	700	300	300	600
20	महाराष्ट्र	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000
21	मणिपुर	200	-	200	500	-	500	300	200	500	300	200	500
22	मेघालय	200	550	750	500	300	800	300	450	750	300	450	750
23	मिजोरम	200	100	300	500	100	600	300	100	400	300	100	400
24	नागालैंड	200	0	200	500	0	500	300	0	300	300	0	300
25	ओडिशा	200	300	500	500	200	700	300	300	600	300	400	700
26	पंजाब	200	1500	1700	500	1500	2000	300	1500	1800	300	1500	1800
27	पुदुचेरी	200	2300	2500	500	3000	3500	300	1700-2200	2000 2500	300	3200	3500
28	राजस्थान	200	800	1000	500	500	1000	300	450-1200	750-1500	300	450-950	750-1250
29	सिक्किम	200	1300 - 1800	1500 2000	500	2000	2500	300	1700	2000	300	1700	2000
30	तमिलनाडु	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000
31	तेलंगाना	200	1816	2016	500	1516	2016	300	1716	2016	300	2716	3016
32	त्रिपुरा	200	1800	2000	500	1500	2000	300	1700	2000	300	1700	2000
33	उत्तराखंड	200	1300	1500	500	1000	1500	300	1200	1500	300	1200	1500
34	उत्तर प्रदेश	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000
35	पश्चिम बंगाल	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000
36	लद्दाख	200	800	1000	500	500	1000	300	700	1000	300	700	1000